कोलकाता • कटिहार
छपते छपते
कोलकाता
मंगलवार 12 फरवरी 2013

राज्यों द्वारा मॉडल कानून न अपनाने पर अफसोस

सरकार की एजेंट बनकर रह गई है पुलिस

विशेष संवाददाता

नई दिल्ली। केंद्रीय सतर्कता आयोग [सीवीसी] ने बुधवार कहा कि डेढ़ सौ साल पुराने जिस कानून से पुलिस संचालित हो रही है उसने पुलिस को कानून लागू करने वाली एजेंसी की जगह सरकार की एजेंट बनाकर रख दिया है। सीवीसी ने पुलिस बलों में व्यापक सुधार के लिए आवाज उठाई है।

पहले भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहे सतर्कता आयुक्त आर श्रीकुमार ने कहा कि पुलिस राज्य के अधीनस्थ सबसे पहला व अहम साधन है जिसका गठन विशेष उद्देश्य के लिए किया गया है। इसे कानून का शासन लागू करना होता है लेकिन देश में पुलिस व्यवस्था का वर्ष 1861 का पुलिस कानून आज भी मुख्य सहारा है। उन्होंने इस पर अफसोस जताया कि अधिकांश राज्य मॉडल पुलिस कानून को लागू करने में नाकाम हैं जबकि राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा इसे तैयार किए तीस साल से अधिक

पुलिस सुधार पर नयी दिल्ली में हुए सम्मेलन में (बायें से) ग्लोबल स्टील 2013 के को-चेयरमैन श्री अरुण कुमार जगतरामका, श्री डी आर कार्थिकेयन (अध्यक्ष फाउंडेशन फॉर पीस, हरमोनी एंड गुड गवर्नेन्स एवं पूर्व निदेशक सीबीआई), न्यायमूर्ति आर. सी. लाहोटी (पूर्व न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट), श्री वजाहत हबीबुल्ला (चेयरपर्सन अल्पसंख्यक राष्ट्रीय आयोग) एवं श्री प्रकाश सिंह (पूर्व महानिदेशक बीएसएफ)

गुजर गए हैं। सीवीसी ने कहा कि स्वतंत्रता के छह दशक बीत जाने और राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा मॉडल पुलिस एक्ट के तैयार हुए चार दशक बीत जाने, कई कमेटियों व आयोगों द्वारा पुलिस सुधारों की जरूरत बताने के बाद भी देश के तीस राज्यों में मुश्किल से एक दर्जन राज्यों ने इसे बगैर किसी भय और पक्षपात के कानून की सहायता करने व लोकतांत्रिक बनाने के लिए इन कानूनों में बदलाव किया है।

श्रीकुमार ने लोकपाल कानून और सीबीआइ कानून की भी वकालत की ताकि कानून लागू करने वाली एजेंसियां और सशक्त हो सकें। सीवीसी ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून-1946 में किए गए बदलाव पर दुख जताया जिसके तहत वर्ष 2003 में संयुक्त सचिव और इससे ऊपर के स्तर के अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच शुरू करने से पहले सीबीआइ के लिए सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया।